

बिहारसरकार
गन्नाउद्योगविभाग
कार्यालय आदेश

संचिका सं० :-01/स्था०277/2023-

दिनांक-मार्च, 2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023, 19332 दिनांक-14.10.2023 एवं पत्र संख्या-19333 दिनांक-14.10.2023 तथा 19358 दिनांक-16.10.2023 के क्रम में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन बिहार ईख सेवा संवर्ग में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित ईख पदाधिकारी/समकक्ष को प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित्त विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	स्क्रीनिंग समिति में स्थिति
1.	श्री बी०कार्तिकेय धनजी, सचिव, गन्ना उद्योग विभाग-	अध्यक्ष
2.	श्री अभय कुमार झा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार (वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव अथवा उप सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी हो)-	सदस्य
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)-	सदस्य
4.	श्री शशि शेखर चौधरी, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग (अनु०जाति/अनु०जनजाति का पदाधिकारी)-	सदस्य
5.	श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग (अल्पसंख्यक समुदाय का पदाधिकारी)-	सदस्य
6.	उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	सदस्य

ह०/-

अवर सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग।

दिनांक- मार्च, 2025

ज्ञापांक :-01/स्था०-277/2023-

प्रतिलिपि :-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री अभय कुमार झा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार/श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री शशि शेखर चौधरी, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी एवं आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signed by Arun Kumar

Date: 04-03-2025 18:35:44

अवर सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग।